

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100915

दिनांक: 13/08/2026

लोक सूचना

श्री DHAPU पत्नी श्री RAMESH जाति MEENA निवासी MAHADEV KI DHANI ROOPPURA
KHIJOORIYA BRAHMAN JAIPUR

श्री RAMESH CHAND MEENA पुत्र श्री MOTI LAL MEENA जाति MEENA निवासी MAHADEV KI DHANI
ROOPPURA KHIJOORIYA BRAHMAN JAIPUR

श्री RAJU LAL MEENA पुत्र श्री RAM KALYAN MEENA जाति MEENA निवासी ROOPPURA
KHIJOORIYA BRAHMAN JAIPUR

श्री SONALI MEENA पुत्री श्री NANAG RAM MEENA जाति MEENA निवासी JEETAWALA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, साँगानेर (जयपुर)	2.) रमेश चन्द मीणा पुत्र मोती लाल मीणा हिस्सा 157 / 2500 जाति मीणा नि. महादेव जी की ढाणी ग्राम रूपपुरा पोस्ट खिजूरिया ब्राहमण तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदार 3.) राजूलाल पुत्र रामकल्याण हिस्सा 1 / 2 जाति मीणा सा. रूपपुरा.तह.बस्सी.जयपुर खातेदार 4.) सोनाली मीना पुत्री नानगराम मीना हिस्सा 1093 / 5000 जाति मीना निवासी ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदार 1.) धापू पत्नि रमेश हिस्सा 1093 / 5000 जाति मीना निवासी महादेव जी	1343/1137	0.5	0.5

		की ढाणी ग्राम रूपपुरा पोस्ट खिजूरिया ब्राह्मणान तहसील बस्सी खातेदार			
2.	कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, साँगानेर (जयपुर)	2.) राजूलाल पुत्र रामकल्याण हिस्सा 1 / 2 जाति मीणा सा. रूपपुरा.तह.बस्सी खातेदार 1.) रमेश चन्द पुत्र मोती लाल हिस्सा 1 / 2 जाति मीणा निवासी महादेव जी की ढाणी ग्राम रूपपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदार	1131/1260	0.14	0.14
3.	कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) रमेश चन्द पुत्र मोती लाल हिस्सा पूर्ण जाति मीणा निवासी महादेव जी की ढाणी ग्राम रूपपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदार	1131/1252	0.16	0.16
4.	कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) राजूलाल पुत्र रामकल्याण हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. रूपपुरा.तह.बस्सी खातेदार	1339/1130	0.2325	0.2325
कुल					1.0325

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-08-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & SANDHYA JYOTI DARPAN

